तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री राजेन्द्र गौतम उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6 से 09 के अधिवक्ता श्री विजय राजपुरोहित व अप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह परमार उपस्थित ।	

वकील प्रार्थी श्री राजेन्द्र गौतम ने तथ्यो को दोंहराते हुए दलील दी की वादग्रस्त भूमि सम्वत 2032 से 2033 से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के 1/2–1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी जो भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान ग्राम जीवन्दखुर्द के हाल खसरा नम्बर 8,9 कुल रकबा 10.66 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। तथा प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 7 रकबा 9.47 हैक्टेयर दर्ज की गई। जबकी प्रार्थीगण भी विधि अनुसार 1/2 हिस्से खातेदारी अधिकार रखते थे। परन्तु भु प्रबंध विभाग द्वारा असमान रूप से पक्षकारो के नाम भूमि विभाजन के जरिये दर्ज किये जाने से प्रार्थीगण द्वारा दुरूस्ती का वाद पेश किया है जिस वाद में तंनकीयात कायम हो चुकी है परन्तु मूल वाद के निर्णय में समय लगेगा इस लिये यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 8,9 कुल रकबा 10.66 हैक्टेयर का बैचान हस्तान्तरण कर देते है अथवा भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे बनने से मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई।

अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री विजय राजपुरोहित ने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए दलील दी की प्रार्थीगण ने अन्य राजस्व वाद 12/2017 माधोसिह बनाम शोभाकंवर में इन्ही पक्षकारो के बीच विभाजन होना स्वीकार किया है तथा भू प्रबंध विभाग द्वारा दोनो पक्षकारो की उपस्थिति में परिशोधन प्रपत्र (विभाजन से संबंधित फार्म नम्बर के जरिये दिनांक 9.4.1979 को कैम्प जीवन्दखुर्द में इन्द्राज किया था जिससे प्रथमदृष्टया मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन एवम् विधि द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् स्थापित तीनो बिन्दुओ यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2017 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही है। तथा ग्राम जीवन्दखुर्द, के हाल खसरा नम्बर 8,9 कुल रकबा 10.66 हैक्टेयर के रेकर्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष व अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी